35

संख्या /13–XIX–2/72 खाद्य/2012

प्रेषक,

सुबर्द्धन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 4 मार्च फ़रवरी, 2013

विषयः केन्द्र डोईवाला के फतेहपुर टाण्डा में आवंटित भूमि पर 2000 मी0 टन क्षमता के गोदाम एवं आवासीय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 811/आ0वि0शा0/गो0निर्माण/2012–13 दिनांक 19.12.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के डोईवाला स्थित ग्राम–फतेहपुर–टाण्डा में 2000 मी0टन राजकीय खाद्यान्न गोदाम एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता यमुना निर्माण खण्ड–द्वितीय, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून द्वारा तैयार आगणन ₹ 254.35 लाख (रूपये दो करोड चौव्वन लाख पैतीस हजार मात्र) के सापेक्ष टी0ए0सी0 (वित्त विभाग) के स्तर से परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाई गई लागत ₹ 239.78 लाख (दो करोड़ उनचालीस लाख अठत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रथम किस्त के रूप में ₹ 94.00 लाख (रूपये चौरानब्बे लाख मात्र) निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था यमुना निर्माण खण्ड–द्वितीय, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी देहरादून के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता, लखवाड़ व्यासी निर्माण मण्डल प्रथम, डिवीजन–सुरंग एवं विद्यतु गृह खण्ड़ द्वितीय को उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध करायी जाएगी एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह माह मार्च, 2013 तक उक्त भवन के निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दी जाए। निर्माण हेतु अग्रेत्तर किश्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ही अवमुक्त की जाएगी।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर स्वीकृत मानकों/कार्यों से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः.... 2 पर

7– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय की जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

10– स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कडाई से किया जायेगा।

11– कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय एवं इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा। समय–समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य का अनुश्रवण कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय।

12– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 4408 –खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय–01–खाद्य–आयोजनागत–800–अन्य व्यय– 05 गोदामों का निर्माण–24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 102P/XXVII(5)/2012-13 दिनांक 28.02.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव

संख्या 101 (i)/13–XIX–2/72 खाद्य/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, सहारानपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– अधीक्षण अभियन्ता, लखवाड़ व्यासी निर्माण मण्डल प्रथम, डिवीजन–सुरंग एवं विद्यतु गृह खण्ड़ द्वितीय यमुना कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड को शासन के पत्र संख्या 455, दिनांक 08.11.2012 में निर्दिष्ट कार्यो के आलोक में अधिशासी अभियन्ता यमुना निर्माण खण्ड द्वितीय के द्वारा प्रस्तुत आगणन पर टी0ए0सी0 विभाग द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
5– जिलापूर्ति अधिकारी, देहरादून।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–5/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9– समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव